कार्यालय सिविल जज, रानीखेत

पत्रांक 56 /2022 दिनांक 24/11/ ,2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में न्यायालय सिविल जज, रानीखेत, अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि का न्याय विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/other/150277/2021)**

सन्दर्भ :– **भारत सकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू.सी.पी./09/19/2022/एफ.सी./539 दिनांक 14.07.2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 2 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिनका निराकरण ऑन लाईन कर प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत है :–

क्र.सं.	आपत्तियॉ	निराकरण
1	The reply submitted by the State Govt. to the EDS dt. 30.03.2022 is not found to be satisfactory. Necessary clarifications and documents are not provided in reply to points no 1, 2 & 3. Accordingly, the state Govt. is requested to re-submit the reply with respect to the points 1, 2 and 3 Further it must be ensured that the forest land requirement is the barest minimum and it must be justified with supportive norms/guidelines.	1- माननीय जनपद न्यायाधीश, अल्मोड़ा महोदय के पत्रांक 407/नवम–01–2010 दिनांक 27.04.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि वादकारियों के आवागमन हेतु उक्त भूमि में वृक्षों की संख्या कम होने, रोड के समीप होने, मुख्य बाजार व मुख्य सड़क से लगभग 1.00 किमी. की परिधि में स्थित होने से भूमि न्यायालय निर्माण हेतु उपयुक्त है। गाईड लाईन पैरा 1.15 के अनुसार सभी शर्तो का अनुपालन किया गया है। सिविल जज (जू0डि0) रानीखेत के भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त विकल्प नही है साथ ही इस हेतु जो वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है वहां पर 462 वृक्ष (संरक्षित प्रजाति के 12 वृक्ष सहित) है जबकि जिस स्थान पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है वहॉ पर मात्र 41 वृक्ष है। स्थल चयन आख्या तथा मानचित्र, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–24 व 25 में संलग्न है। 2- न्यायालय भवन का ले–आउट तथा ऑन लाईन पार्ट–। के बिन्दु संख्या B-2.4 में कम्पोनेंट वाईज ब्रेकअप के अन्तर्गत set back area, open area for greenery, parking & road area इत्यादि अंकित कर दिया गया है। 3. प्रस्तावित स्थल में 04 न्यायालय भवन, कार्यालय, अधिवक्तागण हेतु बार भवन, क्रीच सुविधा, Vulnerable witness Court, वादकारियों, अधिकारियों/कर्मचारियों/अधिवक्तागण हेतु पार्किंग आदि पहुॅच मार्ग इत्यादि का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु ली गयी भूमि का मांग न्यूनतम है।
2	In reply to point No. 5, the requisite KML file of the area selected for the plantation of 1960 trees in not uploaded in online para-II. As per the DSS analysis of the CA area (carried out using the geo-coordinates provided in the geo-referenced map) 1.0 ha area out of 1.96 ha area is found to be mDF. The State Govt. is requested to review the area proposed for planting ensure that it is suitable for planting 1960 trees.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

24/11/2022

सिविल जज
रानीखेत